लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

♦

शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

♦

मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

Food and Agriculture Organization of the United Nations

लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

◆

शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

◆

मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

पुनः मुद्रित 2000

इस प्रकाशन में प्रयोग किए गए निर्देश और सामग्री की प्रस्तुति किसी भी देश, राज्य, शहर या क्षेत्र या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति के विषय में या अपनी सीमान्त या सीमा के सीमा निर्धारण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के खादय और कृषि संगठन की ओर से किसी भी विचार की अभिव्यक्ति का अर्थ नहीं है ।

आई एस बी एन 92-5-104332-9

सभी अधिकार सुरक्षित है, इस जानकारी उत्पाद में इसकी प्रतिकृति और सामग्री का प्रसार शैक्षणिक या अन्य गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कॉपीराइट धारकों से पूर्व लिखित अनुमति के बिना अधिकृत कर रहे हैं, बशर्ते स्त्रोत पूरी तरह से अभिस्वीकृत है । इस जानकारी उत्पाद में सामग्री की प्रतिकृति पुनः बिक्री या अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कॉपी राइट धारकों की लिखित अनुमति के बिना निषिद्ध है । ऐसी अनुमति के लिए आवेदन प्रमुख, प्रकाशन और मल्टीमीडिया सेवा, सूचना प्रभाग, एफ ए ओ, वयाले डेल्ले टेरमे डी केरकेल्ला,00100 रोम, इटली या copyright@fao.org को ई-मेल द्वारा भेजा जाना चाहिए ।

Translation: Meera Vellan Rajiv

Translated and Printed by the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
August 2015

Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
91, Saint Mary's Road, Abhiramapuram
Chennai - 600 018, Tamil Nadu, India
Tel: +91-44-24936294, 24936188; Fax: +91-44-24936102
Email: info@bobpigo.org; website: www.bobpigo.org

इस दस्तावेज़ की तैयारी

इस दस्तावेज़ में तीन अंतरर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं (आई पी ओ ए) के मूल-पाठ शामिल है ।

- लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड
  म करने हेतु आई पी ओ ए
- शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु आई पी ओ ए; और
- मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु आई पी ओ ए

आई पी ओ ए विकसित किए गए क्योंकि कोफी सदस्यों के रुप में 1997 में पाया गया कि उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के कुछ प्रपत्र होना आवश्यक होगा । प्रत्येक तीन विषयों के लिए अधिक उपयुक्त साधन एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना पाया गया । तीन मूल-पाठ 1998 में आयोजित सभी एफ ए ओ सदस्यों के लिए खुला दो अंतर सरकारी बैठकों के पाठ्यक्रम में विकसित किए गए । फरवरी 1999 में मात्स्यिकी पर एफ ए ओ समिति के तेइसवें सत्र द्वारा आई पी ओ ए को अपनाये गए थे और जून 1999 में संपन्न सत्र में एफ ए ओ परिषद द्वारा समर्थित किया गया ।

जापान, नोर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारें तथा यूरोपीय आयोग ने अंतर सरकारी बैठकों और अधिकांश प्रारंभिक गतिविधियों का वित्त पोषण किया ।

एफ ए ओ

लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना ।

शार्क के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना ।

मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना,

रोम, एफ ए ओ 1999. 40 पी.

सारांश

आई पो ओ ए- समुद्री पक्षी एक स्वैच्छिक साधन है जो सभी राज्यों को लागू है जिसके मछुआरे लोग लॉग लाइन मात्स्यिकी में लगे हैं । लाँग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ के संबंध में कोई एक समस्या मौजूद है तो इसका निर्धारण सहित, कार्यान्वित राज्यों को प्रत्याशित किए जाने वाले कार्य की गतिविधियों का एक सेट, लॉग लाइन मात्स्यिकी (एन पी ओ ए-समुद्री पक्षी) का आकस्मिक पकड़ कम करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना को अपनाकर तथा राष्ट्रीय समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए प्रक्रियाएं मूल-पाठ में निर्दिष्ट है । केलैडंर वर्ष जब तक इन कार्रवाईयाँ अधिमानतः की जानी चाहिए, इंगित कर रहे हैं ।

आई पी ओ ए समुद्री पक्षी समुचित न्यूनीकरण उपायों का संक्षिप्त वर्णन प्रदान करता है जो राज्य निर्धारित करता है कि लाँग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ के साथ उनको एक समस्या है, को एन पी ओ ए समुद्री पक्षी में शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिए । वर्णित न्यूनीकरण उपायें या तो पहले से प्रयुक्त या विकास के प्रारंभिक चरण में है । समुचित साहित्य का संदर्भ प्रदान किया जाता है ।

आई पी ओ ए- शार्क एक स्वैच्छिक साधन है जो सभी राज्यों को लागू है जिसके मछुआरे लोग शार्क मात्स्यिकी में लगे हैं । शार्क के संबंध में कोई एक समस्या मौजूद है तो इसका निर्धारण सहित, कार्यान्विन राज्यों को प्रत्याशित किए जाने वाले कार्य की गतिविधियों का एक सेट, शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना अपनाकर तथा राष्ट्रीय समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए प्रक्रियाएं मूल-पाठ में निर्दिष्ट है । केलैडर वर्ष जब तक इन कार्रवाइयाँ अधिमानतः की जानी चाहिए, इंगित कर रहे हैं ।

आई पी ओ ए- क्षमता एक स्वैच्छिक साधन है जो सभी राज्यों को लागू है जिसके मछुआरे प्रग्रहण मात्स्यिकी में लगे है । मूल-पाठ का पहले भाग अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की प्रकृति और विषय-क्षेत्र का वर्णन करता है और सिद्धांतो को रेखांकित करते हुए आई पी ओ ए का उद्देश्य को परिभाषित करता है । पाठ के शेष भाग में तत्काल कार्रवाई का वर्णन करता है और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को पहचानता है । तत्काल कार्रवाई में मत्स्यन क्षमता की मॉनिटरिंग, निर्धारण और राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन औरर तैयारी शामिल हैं । कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के तंत्र पर पाठ में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और एफ ए ओ की भूमिका का वर्णन किया है । केलैण्डर वर्ष जब सिफारिश की गई कार्रवाईयाँ पूरी कर ली जानी चाहिए को पहचान किया गया है ।

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना	7
शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना	21
मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना	30

लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

परिचय

1. समुद्री पक्षियॉ विश्व के विभिन्न वाणिज्यिक लॉग लाइन मात्स्यिकी में आकस्मिक रुप से पकडे जा रहे हैं, और इस आकस्मिक पकड के प्रभावों के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो रही है । समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ में मत्स्यन उत्पादकता और लाभप्रदता के भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । सरकारों, और सरकारी संगठनों और वाणिज्यिक मत्स्य संघों ने लॉग लाइन मात्स्यिकी जिसमें समुद्री पक्षियों को आकस्मिक रुप से पकड़ा जाता है, में समुद्री पक्षियों की मृत्युदर कम करने के उपायों के लिए याचिका दायर कर रहे हैं ।

2. प्रमुख लॉग लाइन मात्स्यिकी, जिसमें समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड पाए जाने के लिए जाना जाता है वह ट्यूना, स्वोर्ड फिश और बिल फिश; महासागरों के कुछ विशेष हिस्सों में; दक्षिणी महासागर में, पाटगोणियन टूथ फिश, उत्तरी महासागरों, (प्रशांत एवं अटलांटिक) में हलिबेट, ब्लैक कोड, पेसिफिक कोड, ग्रीनलैड हलिबेट, कोड, हेड्डक, दांत और लिंग हैं । प्रायः बारबार लिए गए समुद्री पक्षियों की प्रजातियाँ दक्षिणी महासागर में आलबट्रोसस और पेट्रेल्स, उत्तर अटलांटिक में उत्तरी फुलमरस और उत्तरी प्रशांत मात्स्यिकी में अलबट्रोसस, गल्स और फुलमर हैं ।

3. दक्षिणी महासागर में वाणिज्यिक मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने की जरुरत पर प्रतिक्रिया करते हुए, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों (सी सी ए एम एल आर) का संरक्षण के लिए आयोग ने समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए अपने 23 सदस्य देशों के लिए 1992 में कमी करने के उपायों को अपनाया ।

4. दक्षिणी ब्लू फिन टूना (सी सी एस बी टी) के संरक्षण के लिए आयोग के तत्वावधान में, आस्ट्रेलिया, जापान और न्युजीलैंड ने अध्ययन किया है और 1994 से अपने दक्षिणी ब्लू फिन टूना लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी न्यूनीकरण उपायें लिया है, और 1995 में सी सी एस बी टी ने लॉग लाइन मत्स्यन द्वारा समुद्री पक्षी की आकास्मिक मृत्यु दर सहित पारिस्थितिकी से संबंधित प्रजातियों के लिए एक सिफारिश को अपनाया । सिफारिश डेटा और सूचना संग्रहण, न्यूनीकरण

उपायें, साथ ही शिक्षा और सूचना प्रसार पर एक नीति का अनुबंध करता है । सी सी एस बी टी के सभी सदस्य देशों ने अपनी मात्स्यिकी में पक्षी को डराने वाले लाइन (टोरी पोल्स) का उपयोग अनिवार्य किया है ।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका भी विनियम द्‌वारा तल मछली लॉग लाइन मात्स्यिकी जहां बेरिंग सागर/अलूशन व्दीप और 1997 में अलास्का की खाडी में और 1998 में हालिबट मात्स्यिकी के लिए विविध वाणिज्यिक लॉग लाइन में समुद्री पक्षियों को अकस्मात् पकड़ा जा रहा है के लिए समुद्री पक्षी की आकास्मिक पकड़ कम करने के लिए उपायों को अपनाया है । संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में हवाइयन पेलाजिक लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने हेतु उपायों को विकसित कर रहा है । लॉग लाइन मात्स्यिकी के साथ कई अन्य देश इसी तरह न्यूनीकरण उपायों को अपनाया है।

उत्पत्ति

6. लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ और समुद्री पक्षी आबादी पर इसके संभाव्य नकारात्मक प्रभावों के संबंध में वर्धित जागरुकता देखने पर मार्च 1997 में मात्स्यिकी (कोफी) पर समिति के 22 वॉ सत्र में एक प्रस्ताव बनाया गया कि एफ ए ओ अतिरिक्त बजटीय धन का उपयोग कर, इस प्रकार आकस्मिक पकड़ में कमी पर लक्ष्य रखते हुए कोफी के अगले सत्र में प्रस्तुत की जाने वाली कार्रवाई योजना में दिशा निर्देश विकसित करने हेतु एक विशेषज्ञ परामर्श आयोजित किया जाए ।

7. *लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना* (आई पी ओ ए - सी ब्र्ड) टोक्यों में 25- 27 मार्च 1998[1] में एक तकनीकी कार्य समूह की बैठक के ज़रिए विकसित की है (आई पी ओ ए - समुद्री पक्षी) और मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन, शार्क मात्स्यिकी और लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ पर 26 - 30 अक्टूबर 1988 में संपन्न परामर्श और रोम में 22 -24 जुलाई 1998[2] में इसकी तैय्यारी बैठक संपन्न हुई ।

---

1. "लॉंग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड की कमी पर एफ ए ओ तकनीकी कार्य समूह बैठक की रिपोर्ट" देखें । टोक्यो, जापान, 25-27 मार्च 1998 एफ ए ओ मात्स्यिकी रिपोर्ट नं. 585

2. "मत्स्यन क्षमता, शार्क मात्स्यिकी के प्रबंधन एवं लॉंग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड पर परामर्श हेतु तैय्यारी बैठक की रिपोर्ट" देखें । रोम, इटली, 22-24 जुलाई 1998, एफ ए ओ मात्स्यिकी रिपोर्ट नं. 584

8. आई पी ओ ए - समुद्री पक्षी स्वैच्छिक है । यह अनुच्छेद 2 (डी) द्वारा परिकल्पित उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के ढाँचे के भीतर सविस्तार किया गया है । आचार संहिता के अनुच्छेद 3 के प्रावधान की व्याख्या और प्रयोग इस दस्तावेज़ के और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के लिए लागू होते हैं । सभी संबंधित राज्यों [3] को इसे कार्यान्वित करने में प्रोत्साहित किया जाता है ।

9. आई पी ओ ए - समुद्री पक्षी राज्यों के लिए लागू होता है जिसके पानी में लॉग लाइन मात्स्यिकी अपने या विदेशी पोतों द्वारा किया जा रहा है और जो राज्य गहरे समुद्र में और अन्य राज्यों के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में लॉग लाइन मात्स्यिकी संचालन करता है ।

लक्ष्य

10. अनुच्छेद 7.6.9 और आचार संहिता के 8.5 के उद्देश्यों पर विशेष ध्यान रखते हुए आई पी ओ ए - समुद्री पक्षी का उद्देश्य लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ जहाँ होती है कम करना है ।

कार्यान्वयन

11. आई पी ओ ए - समुद्री पक्षियों को कार्यान्वयन करने में राज्यों को गतिविधियों का एक सेट पूरा करना है । यह प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संयोजन के रुप में यथोचित किया जाना चाहिए । गतिविधियों के इस सेट का सही विन्यास, लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ का निर्धारण के आधार पर किया जाएगा ।

12. समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ के संबंध में यदि कोई समस्या मौजूद है तो इसका पता लगाने हेतु लॉग लाइन मात्स्यिकी सहित राज्य, इन मात्स्यिकी के निर्धारण संचालित किया जाना चाहिए । यदि कोई समस्या मौजूद है तो राज्य लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना को अपनाना चाहिए । (एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी) “लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए एक राष्ट्रीय
कार्रवाई योजना के विकास पर एक तकनीकी नोट” नीचे देखें । जब एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी विकसित करते समय क्षेत्रीय प्रबंधन संगठन में प्राप्त अनुभव को

---

3. इस दस्तावेज के शब्द ‘स्टेट’ (राज्य) में एफ ए ओ के सदस्य और गैर-सदस्य शामिल हैं और स्टेट को छोड़कर “फिशिंग एनटिटिज़” (मत्स्यन अस्तित्व) में भी यथोचित परिवर्तन करके लागू है ।

यथोचित ध्यान में रखा जाना चाहिए । एफ ए ओ विशेषज्ञों की एक सूची और एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी के विकास के संबंध में प्रयोग हेतु देशों को तकनीकी सहायता का तंत्र प्रदान करना चाहिए ।

13. राज्य निर्धारित करता है कि एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी आवश्यक नहीं है, को विशेष रुप से अपनी मात्स्यिकी में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वर्तमान मात्स्यिकी का विस्तार और/ या नए लॉग लाइन मात्स्यिकी के विकास पर नियमित आधार पर उस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए । यदि उसके बाद निर्धारण के आधार पर, राज्य निर्धारित करता है कि एक समस्या मौजूद है, वे अनुच्छेद 12 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करें और एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी को दो साल के भीतर लागू करें ।

14. निर्धारण प्रत्येक प्रासंगिक राज्य के एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ।

15. प्रत्येक राज्य अपनी एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी के डिजाइन, कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार हैं ।

16. राज्य स्वीकार करता है कि प्रत्येक लॉग लाइन मात्स्यिकी अव्दितीय है और समुचित न्यूनीकरण उपायों की पहचान संबंधित मात्स्यिकी के तुरंत निर्धारण के ज़रिए ही प्राप्त किया जा सकता है । कुल लॉग लाइन मात्स्यिकी में जहाँ समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ होती है, वहाँ तकनीकी और परिचालन न्यूनीकरण उपाय वर्तमान में प्रयोग में है या विकास के अंतर्गत है । विभिन्न राज्यों द्वारा विकसित उपायें इस दस्तावेज (लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के विकास पर तकनीकी नोट) के अंत में शामिल तकनीकी नोट में सूचीबद्ध है । यह सूची किसी या अन्य उपयुक्त उपाय विकसित करने के लिए उपयोग करने हेतु तय करने के लिए राज्यों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता । वर्तमान में प्रयुक्त या विकास के तहत न्यूनीकरण उपायों के अधिक व्यापक वर्णन और चर्चा एफ ए ओ मात्स्यिकी परिपत्र नं. 937 में पाया जा सकता है।

17. राज्य एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी के कार्यान्वयन 2001 में कोफी सत्र के बाद में शुरु कर देना चाहिए।

18. उनके एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी कार्यान्वित करने में राज्य, नियमित रुप से, कम से कम हर चार साल, एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी रणनीतियाँ पहचानने के उद्देश्य हेतु उनके कार्यान्वयन का आकलन करना चाहिए ।

19. राज्य उनके संबंधित दक्षताओं के ढाँचे के भीतर और अंतरर्राष्ट्रीय कानून के अनुरुप, लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय मत्स्य संगठनों या व्यवस्थाओं, और सहयोग के अऩ्य रुपों के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

20. आई पी ओ समुद्री पक्षी कार्यान्वित करनें में राज्य मान्यता देती है कि राज्यों के बीच सहयोग जिनके पास महत्वपूर्ण लॉग लाइन मात्स्यिकी है, मुद्दे की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए, समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करना जरुरी है । राज्य को एफ ए ओ के माध्यम से और अनुसंधान, प्रशिक्षण और उत्पादन की जानकारी और प्रचार सामग्री में व्दिपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

21. राज्य को उत्तरदायी मात्स्यिकी हेतु आचार संहिता पर एफ ए ओ को अपनी व्दिवार्षिक रिपोर्ट के भाग के रुप में उनके एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी का मूल्याकन, विकास और कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट करना चाहिए ।

एफ ए ओ की भूमिका

22. एफ ए ओ अपने सम्मेलन द्वारा निर्देशित इस हद तक और नियमित कार्यक्रम गतिविधियों के रुप में आई पी ओ ए- समुद्री पक्षी के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करेगा ।

23. एफ ए ओ अपने सम्मेलन द्वारा निर्देश के अनुसार नियमित कार्यक्रम फंड के साथ देश में तकनीकी सहायता परियोजना और इस उद्देश्य के लिए संगठन को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त बजटीय फंड के उपयोग से एन पी ओ ए- समुद्री पक्षी के कार्यान्वयन और विकास का समर्थन करेगा ।

24. एफ ए ओ, कोफ़ी के माध्यम से आई पी ओ ए- समुद्री पक्षी के कार्यान्वयन में प्रगति की स्थिति पर व्दिवार्षिक रिपोर्ट करेगा ।

लॉग लाइन मात्स्यिकी (एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी)में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के विकास पर तकनीकी नोट

यह एकमात्र या आवश्यक रुप से सभी सम्मिलित सूची नहीं है लेकिन एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी की तैय्यारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है ।

एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी एक योजना है कि एक राज्य लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने हेतु अभिकल्पित, कार्यान्वित और मॉनिटर करता है ।

I. निर्धारण

1. निर्धारण का उद्देश्य एक राज्य के लॉग लाइन मात्स्यिकी में जहाँ समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड होती है का विस्तार एवं कार्यक्षेत्र का पता लगाना है ।

2. निर्धारण में संग्रहण और विश्लेषण हो सकता है लेकिन सीमित नहीं हैः-

- एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी की आवश्यकता मूल्यांकन करने हेतु उपयोग किया गया मानदण्ड
- मत्स्यन बेड़ा डेटा (आकार से पोतों की संख्य)
- मत्स्यन तकनीक डेटा (तलमज्जी, पेलाजिक, प्रणलियाँ)
- मत्स्यन क्षेत्रों में
- लॉग लाइन मात्स्यिकी द्वारा मत्स्यन प्रयास (मौसम, प्रजाति, पकड, हुक, वर्ष/मात्स्यिकी की संख्या)
- मत्स्यन क्षेत्र में समुद्री पक्षी की आबादी की स्थिति, यदि ज्ञात हो तो
- समुद्री पक्षियों की कुल वार्षिक पकड़ (1000 हुक प्रति संख्या/ सेट/ प्रजातियाँ/ लॉग लाइन मात्स्यिकी)
- प्रयोग में मौजूद न्युनीकरण उपायें एवं समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने में उनकी प्रभावशीलता
- समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड की मॉनिटरिंग (पर्यवेक्षक कार्यक्रम आदि)
- निष्कर्ष विवरण और एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी कार्यान्वित करने एवं विकसित करने का निर्णय

II. एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी

एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी में निम्नलिखित तत्व शामिल हो सकते हैं :

1. न्यूनीकरण उपायों के लिखित आदेश

एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी को उपयुक्त न्यूनीकरण उपायें निर्धारित करना चाहिए । इनको सिद्ध क्षमता चाहिए और मत्स्यन उद्योग के लिए लागत प्रभावी होना चाहिए, यदि न्यूनीकरण उपायों के प्रभावकारिता को अलग न्यूनीकरण उपायों या उपकरणों के सयोजन द्वारा सुधार किया जा सकता है, तो संभावना यह है कि प्रत्येक राज्य उनकी विशिष्ट लॉग लाइन मात्स्यिकी की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को प्रतिबिबित करने वाले बडी संख्या में विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने हेतु फायदेमंद पाया जाएगा ।

2. अनुसंधान और विकास

एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी में अनुसंधान और विकास के लिए लक्ष्य सहित योजना को शामिल करना चाहिए (i) अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी समुद्री पक्षी निवारक उपकरण विकसित करना, (ii) समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने हेतु अन्य प्रौद्योगिकियाँ और पद्धतियाँ सुधारना, (iii) लॉग लाइन मात्स्यिकी में जहाँ यह समस्या होती है, में प्रयुक्त न्यूनीकरण उपाय के प्रभाव का मूल्याकन करने के लिए विशिष्ट अनुसंघान कार्य करना ।

3. शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रचार

एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी को लाँग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ जहाँ होती है, को कम करने की ज़रुरत के संबंध में मछुआरों, मत्स्यन संघों और अन्य संबंधित समूहों के बीच जागरुकता बढाने के लिए साधन निर्धारित करना चाहिए; लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड पर कार्रवाई की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय योजना और अन्य सूचना; राष्ट्रीय उद्योग, अनुसंधान और अपने प्रशासन के बीच एन पी ओ ए - समुद्री पक्षी का कार्यान्वयन को बढ़ावा देना ।

समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए तकनीकी या वित्तीय सहायता के संबंध में सूचना प्रदान करना ।

मछुआरों, मत्स्य प्रबंधकों, गियर प्रौद्योगिकीविदों, समुद्री आर्किटेक्ट, शिप बिल्डर्स, संरक्षणवादियों और जनता की अन्य इच्छुक सदस्यों के लिए आऊटरीच कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अधिमानतः अभिकल्प योजना में वर्णित किया जाना चाहिए । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड से उत्पन्न समस्या की समझ में सुधार लाना और न्यूनीकरण उपायों का उपयोग हैं । आऊटरीच कार्यक्रम में शैक्षिक पाठ्यक्रम और वीडियों, हैंड बुक, ब्रोशर और पोस्टर के माध्यम से प्रचारित दिशा निर्देश शामिल हो सकते हैं । कार्यक्रम में इस मामले के दोनों संरक्षण पहलुओं पर और समुद्री पक्षी में चारा नुक्सान हटाने के साथ साथ प्रत्याशित वर्धित मत्स्यन दक्षता के आर्थिक लाभ पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

4 डेटा संग्रहण

डेटा संग्रहण कार्यक्रमों में, लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकास्मिक पकड और न्यूनीकरण उपायों के प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय डेटा संग्रहित करना चाहिए । ऐसे कार्यक्रम जहाज़ पर पर्यवेक्षक उपयोग कर सकते हैं ।

लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए कुछ वैकल्पिक तकनीकी एवं परिचालन उपायों पर तकनीकी नोट

1. प्रस्तावना

समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करने के लिए समुद्री पक्षी और चारा युक्त हुक के बीच मुठभेडों की संख्या कम करना आवश्यक है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि संयोजन में उपयोग किया हो तो, विकल्प से न्यूनीकरण प्रभावकारिता में सुधार ला सकता है ।

प्रत्येक उपायों के लिए प्रभावकारिता और मछुआरों के लिए शामिल लागत संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं । इस प्रस्तुति में " प्रभावकारिता" किस हद तक उपायें समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम कर देता है के रुप में परिभाषित किया है । प्रांरभिक लागत या निवेश और किसी भी चालू परिचालन के रुप में "लागत" को परिभाषित किया है ।

अन्य तकनीकी विकल्प वर्तमान में विकास के अंतर्गत है और क्षेत्र में मछुआरों और शोधकर्ता नए न्यूनीकरण उपाय विकसित कर सकते हैं, इसलिए उपायों की सूची समय से अधिक बढ़ने की संभावना है ।

यदि न्यूनीकरण उपायों की प्रभावकारिता न्यूनीकरण उपायों या उपकरणों के संयोजन द्वारा सुधार किया जा सकता है तो प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त विविध उपायें कार्यान्वित करने और उनकी विशिष्ट लाँग लाइन मात्स्यिकी की जरुरतें प्रतिबिबित करने हेतु लाभप्रद पाया जाएगा ।

नीचे दी गई सूची अनिवार्य या संपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए और एफ ए ओ प्रयोग किए जा रहे उपायों या विकास के तहत डेटा बेस का रखरखाव करेगा ।

II. तकनीकी उपायें

1. चारा की सिंक दर बढाएं

क) लॉग लाइन गियर का वजन करना

संकल्पना : चारा युक्त हुक की सिकिंग गति बढ़ाना और समुद्री पक्षी को उनके संपर्क में आने का समय कम करना

प्रभावकारिता : अध्ययन से पता चला है कि उपयुक्त लाइन भार, पक्षियों के लिए चारा नुक्सान से बचने में अत्यधिक प्रभावी हो सकता है ।

लागत : भार सामग्री (यदि भारी गियर या वजन हो तो) की प्रारंभिक खरीद और मत्स्यन के दौरान खोया वजन का चालू प्रतिस्थापन की लागत

ख) गलन चारा

संकल्पना : चारा में थाँयिग और / या तैरने की थैली में छिद्रन द्वारा प्लवक समस्यओं को पार करना

प्रभावकारिता : थॉव किया गया चारा का उपयोग करने पर समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड की दर में कमी हुई । यह भी दिखाया गया है कि इनफ्लेटड स्विम मूत्राशय की तुलना में डीफ्लेटड स्विम मूत्राशय सहित चारा मछली तेज़ी से डूबती है ।

लागत : संभावित लागत में चारा गलन रेक या वायु मूत्राशय से उत्पन्न प्लवन की क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त वजन शामिल हैं ।

ग). लाइन - सेट्टिटंग मशीन

संकल्पना : गियर परिनियोजित करने के दौरान लाइन टेंशन हटाकर लाइन सिंकिंग दर बढ़ाना

प्रभावकारिता : यद्यपि परिमाणात्मक निर्धारण नहीं किया गया है, यह प्रथा का परिणाम से लाइन सिंकिंग अधिक तेज़ी से होगी जिससे समुद्री पक्षी को चारायुक्त हूक की उपलब्धि कम होगी ।

लागत : कुछ मात्स्यिकी के लिए, प्रारंभिक लागत में लाइन सेटिंग उपकरण की खरीद शामिल हो सकती है।

2. पानी सेटिंग च्युट, केप्सूल या कीप (फनल) के नीचे

संकल्पना : पानी के नीचे लाइन सेट्टिंग द्वारा चारायुक्त हूक्स में समुद्री पक्षी का प्रवेश को रोकना

प्रभावकारिता : पानी के नीचे सेट्टिंग उपकरणें अभी भी विकास के अंतर्गत है लेकिन उच्च प्रभावकारिता हो सकता था ।

लागत : प्रारंभिक लागत में पानी के नीचे सेट्टिंग उपकरण की खरीद शामिल होगी ।

3. क्षेत्र जहाँ चारा युक्त हूक पानी में प्रवेश करता है वहाँ बर्ड स्केरिंग लाइन रख देना ।

संकल्पना : समुद्री पक्षी पानी में प्रवेश करते समय चारा युक्त हूक में प्रवेश रोकना । बर्ड स्केरिंग लाइन, पक्षियों को चारायुक्त हूक्स में उनका प्रवेश रोककर चारायुक्त हूक्स लेने में उनको हतोत्साहित करने के लिए बनाया गया है । डिजाइन विनिर्देश, पोत, मत्स्यन प्रचालन और स्थान के आधार पर भिन्न हो सकता है और इसकी प्रभावकारिता के लिए संकटपूर्ण है । स्ट्रीमर लाइन और बोया खींचना इन तकनीकों के उदाहरण हैं ।

प्रभावकारिता : अनेक अध्ययन और उपाख्यानमूलक अवलोकन इन उपकरणें उचित रुप से अभिकल्पित और उपयोग करने पर महत्वपूर्ण प्रभावशीलता दिखाया है ।

लागत : बर्ड स्केरिंग लाइन की खरीद एवं संस्थापन के लिए सस्ता प्रारंभिक लागत

4. चारा कास्टिंग मशीन

संकल्पना : बर्ड स्केरिंग लाइन द्वारा सुरक्षित क्षेत्र और प्रोपल्लर और जहाज़ के अनुजल (शिप वेक) के कारण उत्पन्न अस्तव्यस्ता के बाहर चारा रखना ।

प्रभावकारिता : बर्ड स्केरिंग लाइन के सुरक्षित क्षेत्र के अधीन चारा रखने से समुद्री पक्षी को चारायुक्त हूक्स की उपलब्धता कम कर देता है । चारा कास्टिंग मशीन के प्रयोग से किस हद तक चारा की कमी को कम किया जा सकता है, यदि बिना

बर्ड स्केरिंग लाइन में प्रयुक्त या इस तरह कि एक बर्ड स्केरिंग लाइन द्वारा चारा को संरक्षित नहीं किया जाता है का अभी तक पता लगाना है ।

लागत : उच्च, प्रारंभिक लागत में चारा कास्टिंग उपकरण की खरीद शामिल हो सकती है ।

5. बर्ड स्केरिंग पर्दा

संकल्पना : एक बर्ड स्केरिंग पर्दा का उपयोग करके हॉल के दौरान चारायुक्त हूक लेने से समुद्री पक्षी को रोकना

प्रभावकारिता : उपाख्यानात्मक सबूत इंगित करता है कि बर्ड स्केरिंग पर्दा हॉलिंग क्षेत्र में चारा पकड़ने से पक्षियों को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित कर सकता है ।

लागत : सामग्रियों के लिए व्यय कम

6. कृत्रिम चारा या ल्यूर

संकल्पना : स्वादिष्टता या चारा की उपलब्धता कम करना

प्रभावकारिता : नए चारा अभी भी विकास के अंतर्गत है और प्रभावकारिता निश्चय करना अभी बाकी है ।

लागत : वर्तमान में अज्ञात

7. हुक संशोधन

संकल्पना : हुक प्रकार का उपयोग करें जिससे जब वे चारायुक्त हुक पर हमला करेगें पक्षियों को पकड़े जाने की संभावना कम करता है ।

प्रभावकारिता : हुक आकार, समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ की प्रजाति संयोजन पर प्रभाव पड सकता है । हुक्स के संशोधन का प्रभाव हालांकि कम समझा ।

लागत : अज्ञात

8. ध्वनिक निवारक

संकल्पना : उच्च आवृत्ति, उच्च प्रबलता, संकट कॉल आदि जैसे ध्वनिक संकेतों का उपयोग कर लॉग लाइन से पक्षियों को रोकना

प्रभावकारिता : प्रभावी होने की कम संभावना क्योंकि पृष्ट भूमि आवाज़ उच्च हैं और आवज़ों में आदी होना समुद्री पक्षी के बीच आम है ।

लागत : अज्ञात

9. पानी तोप

संकल्पना : उच्च दबाव पानी का उपयोग करके चारायुक्त हुक छुपाना

प्रभावकारिता **:** इस तरीके के प्रभावकारिता के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं है

लागत **:** अज्ञात

10. मेग्नेटिक निवारक

संकल्पना : चुंबकीय क्षेत्र बनाकर पक्षियों की चुम्बकीय रिसेप्टर्स अस्तव्यस्त करना ।

प्रभावकारिता : व्यावहारिक प्रयोगों में प्रभाव का कोई संकेत नहीं ।

लागत **:** अज्ञात

III. परिचालन उपायें

1. **चारा (नाइट सेट्टिंग) की नज़र में कमी**

संकल्पना : अंधेरे के समय सेट करना और पानी में चारायुक्त हुक्स की रोशनी कम करना

प्रभावकारिता : यह प्रणाली आमतौर पर अत्यधिक प्रभावी होने के रुप में माना जाता है । हालांकि, प्रभावकारिता समुद्री पक्षी प्रजातियों के अनुसार मौसम और मत्स्यन स्थान के बीच भिन्न हो सकता है । इस उपाय की प्रभावकारिता पूर्णिमा के आसपास कम किया जा सकता है ।

लागत : अंधेरें के समय लाइन सेट्टिंग पर रोक लगाना विशेष रुप से छोटे लॉग लाइनर के लिए मछली पकड़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है । पोत पर समुचित रुप से रोशनी जलाने के लिए कम व्यय हो सकता है ।
ऐसे रोक समय की अल्पावधि में अधिकतम मत्स्यन क्षमता के लिए महंगी प्रौद्योगिकी में निवेश करना आवश्यक है ।

2. **समुद्री पक्षी में पोतों का आकर्षण कम करें**

संकल्पना : समुद्री पक्षी में पोतों का आकर्षण कम कर समुद्री पक्षी को आकस्मिक रुप से पकडे जाने की संभावना कम हो जाएगा । पोतों से निकाली गई सामग्रियॉ (उदा : बेकार मछली, कचरा) एक ही समय में या उन्हें पक्षियों को कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए या उनको नुक्सान का कारण बनने की कम संभावना होनी चाहिए । इसमें एमबेडेड हुक्स के साथ बेकार मछली, कूडा-करकट, मछली सिर

आदि की डंपिंग से बचना शामिल है । यदि कूडा-करकट की डंपिंग अपरिहार्य हो तो यह पोत के विपरीत पक्ष पर किया जाना चाहिए जहाँ लाइन सेट किया जा रहा है या इस प्रकार कि पक्षियाँ पोत की ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं (उदाहरण के लिए रात में)

प्रभावकारिता : कूडा-करकट निकालने का मुद्दा जटिल है, और आज तक किए गए अध्ययन में विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में परस्पर विरोधी परिणाम उत्पन्न हुआ है ।

लागत: कम; कुछ स्थितियों में लागत जहाजों पर कूड़ा-करकट समावेशन या कूड़ा-करकट हटाने का तंत्र के पुर्न; विन्यास प्रदान करने के साथ जुडा है ।

3. क्षेत्र और मौसमी बंद

संकल्पना : जब प्रजनन संकेन्द्रण या समुद्री पक्षी को चारा देने से बचने पर समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड़ कम करें ।

प्रभावकारिता : अन्य समुद्री पक्षी क्षेत्र में मत्स्यन बेडे के विस्थापन की जरुरत पर विचार किए जाने पर क्षेत्र और मौसमी बंद प्रभावी (जैसे कि उच्च धनत्व चारा क्षेत्र या चूजा की देखभाल की अवधि के दौरान जब पैतृक कर्तव्य वयस्कों को प्रजनन क्षेत्र से उड़ने की दूरी सीमित करने पर) हो सकता है ।

लागत: अज्ञात है, लेकिन क्षेत्र या मौसम में मत्स्यन पर रोक मत्स्यन क्षमता पर प्रभाव पड सकता है ।

4. न्यूनीकरण उपाय का उपयोग करने वाले पोतें जिसमें अनुपालन मॉनिटरिंग की अवश्यकता नहीं है, को तरजीही लाइसेंस दें ।

संकल्पना : न्यूनीकरण उपाय जिसमें अनुपालन मॉनिटरिंग की आवश्यकता नही है के प्रभावी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन प्रदान की गई ।

प्रभावाकारिता : न्यूनीकरण उपायों के उपयोग प्रोत्साहित करने और समुद्री पक्षियों की आकस्मिक पकड़ कम करने वाले मत्स्यन तंत्र का विकास में अत्यधिक प्रभावी हो सकता है ।

लागत : अज्ञात

5. जीवित पक्षियों को छोडना

संकल्पना : यदि सावधानियों के बावजूद, समुद्री पक्षियाँ आकस्मिक रुप से पकडे जाते है, पोत पर लाए गए जीवित पक्षियों को जीवित छोड़ने के लिए सभी उचित प्रयास सुनिश्चित किया जाना चाहिए और संभव हुक पक्षियों के जीवन को खतरे में डाले बिना हटाया जाना चाहिए ।

प्रभावकारिता : पोत पर लाए गए जीवित पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है और यह लाइन सेट्टिंग में मारे गए पक्षियों की तुलना में यह छोटा माना जाता है ।

लागत : अज्ञात

शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

परिचय

1. सदियों से कारीगरी मछुआरों ने तटीय जल में निरंतर शार्क के लिए मत्स्यन किया है, और कुछ अभी भी करते हैं । हालांकि, हाल के दशकों के दौरान दूर के बाज़ारों के लिए उपयोग के साथ संयोजन में आधुनिक प्रौद्योगिकी शार्क पकड की उपज एवं प्रयास में वृद्धि का कारण बना है तथा मत्स्यन किए गए क्षेत्रों का विस्तार भी हुआ है।

2. शार्क की पकड में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम दुनिया के महासागरों के कई क्षेत्रों में कुछ शार्क प्रजातियों की आबादी पर चिंता हो रही है, क्यों कि शार्क को अक्सर करीबी स्टॉक-रिक्रूटमेंट संबंध, अति मत्स्यन के प्रत्युत्तर में लंबे समय तक वसूली (देर से यौन परिपक्वता के कारण कम जैविक उत्पादकता; कम संतान, यद्यपि कम प्राकृतिक मृत्यु दर) और जटिल स्थानिक संरचना (आकार/लैंगिक अलगाव और मौसमी प्रवास) है।

3. शार्क के ज्ञान की वर्तमान स्थिति और शार्क मात्स्यिकी में प्रयुक्त प्रथाएं उपलब्ध पकड, प्रयास, लैडिंग एवं व्यापार डेटा की कमी के कारण तथा अनेक प्रजातियों के जैविक पैरामीटर पर सीमित सूचना और उनकी पहचान शार्क के प्रबंधन एवं सरंक्षण में समस्याएं पैदा करती है । शार्क स्टॉक की स्थिति पर ज्ञान बढ़ाने हेतु और आवश्यक जानकारी का संग्रहण की सुविधा के लिए पर्याप्त धन अनुसंधान और प्रबंधन के लिए आवश्यक है ।

4. प्रचलित राय यह है कि निर्देशित शार्क पकड़ का बेहतर प्रबंधन करना आवश्यक है और कुछ बहु प्रजातीय मात्स्यिकी जिसमें शार्क एक महत्वपूर्ण अप्रधान पकड़ के रुप में सम्मिलित है । कुछ मामलों में प्रंबधन की जरुरत तत्काल हो सकता है।

5. कुछ देशों में अपने शार्क पकड के लिए विशिष्ट प्रबंधन योजना है और अपनी योजनाओं में प्रवेश में नियंत्रण, शार्क के अप्रधान पकड की कमी हेतु रणनीति सहित तकनीकी उपाय और शार्क का पूरा उपयोग के लिए समर्थन शामिल है । हालाकि महासमुद्र में शार्क के व्यापक वितरण, और कई प्रजातियों के लबें प्रवास, शार्क प्रबंधन की योजना के अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित

करनें में तेजी से महत्वपूर्ण है । वर्तमान समय में शार्क के पकड़ को प्रभावी रुप से पता लगानें में बहुत कम अंतरर्राष्ट्रीय प्रबंधन तंत्र है ।

6. अंतर अमेरिकी उष्णकटिबंधीय टूना आयोग, सागर की खोज के लिए अंतरर्राष्ट्रीय काऊंसिल, अटलांटिक टूना के संरक्षण हेतु अंतरर्राष्ट्रीय आयोग, उत्तर पश्चिम अंटलांटिक मात्स्यिकी संगठन, पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के उप-क्षेत्रीय मात्स्यिकी आयोग, मात्स्यिकी विकास हेतु लैटिन अमेरिकी संगठन, हिन्द महासागर टूना आयोग, दक्षिणी ब्लू फिन टूना के संरक्षण हेतु आयोग और प्रशांत समुदाय के महासागरीय मात्स्यिकी कार्यक्रम ने शार्क के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करने के प्रयास शुरु कर दिया है, और कुछ मामलों में स्टॉक निर्धारण के उद्देश्य हेतु क्षेत्रीय डाटा बेस विकसित किया है ।

7. शार्क के विस्तार पकड़ के बारे में वर्धित चिंता और शार्क आबादी पर उनके संभावित नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मार्च 1997 में मात्स्यिकी पर एफ ए ओ समिति (कोफी) के 22 वॉ सत्र में एक प्रस्ताव बनाया गया कि शार्क के सुधारित संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य से समिति के अगले सत्र में प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्रवाई योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित करने हेतु अतिरिक्त बजटीय धन का उपयोग करते हुए एक विशेषज्ञ परामर्श का आयोजन किया जाए ।

8. शार्क (आई पी ओ ए शार्क) के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु इस अंतरर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना 23 से 27 अप्रैल 1998[4] तक टोक्यों में शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन पर तकनीकी कार्य समूह की बैठक और रोम में 26 से 30 अक्टूबर 1998 तक संपन्न लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी की आकस्मिक पकड और शार्क मात्स्यिकी, मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन पर परामर्श और 22 से 24 जुलाई 1998[5] को रोम में आयोजित तैयारी बैठक के माध्यम से विकसित की है ।

9. इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट कार्यान्वयन (संलग्न सहित) के लिए आई पी ओ ए - शार्क में प्रकृति औऱ कार्यक्षेत्र, सिध्दातों, उद्देश्य और प्रक्रियाएं शामिल हैं ।

---

4. "शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एफ ए ओ तकनीकी कार्य समूह की रिपोर्ट", टोक्यो, जापान, 23-27 अप्रैल 1998 देखें । एफ ए ओ मात्स्यिकी रिपोर्ट नं. 583.

5. "मत्स्यन क्षमता, शार्क मात्स्यिकी के प्रबंधक एवं लॉग लाइन मात्स्यिकी में समुद्री पक्षी का आकस्मिक पकड पर परामर्श हेतु तैय्यारी बैठक की रिपोर्ट" देखें । रोम, इटली, 22-24 जुलाई 1998, एफ ए ओ मात्स्यिकी रिपोर्ट नं. 584.

10. आई पी ओ ए - शार्क स्वैच्छिक है । इसे अनुच्छेद 2 (डी) में दिखाये गए अनुसार उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के ढाँचे के भीतर सविस्तार किया गया है । आचार संहिता के अनुच्छेद 3 का प्रावधान इस दस्तावेज की व्याख्या और प्रयोग अन्य अंतरर्राष्ट्रीय प्रपत्र के साथ संबंध के लिए लागू है । सभी संबंधित राज्यों [6] में इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

11. इस दस्तावेज़ के उद्देश्य हेतु शब्द "शार्क", शार्क की सभी प्रजातियाँ स्केट, रे ओर चिमेरस (वर्ग कोन्ट्रिक्टेस) शामिल करने के लिए लिया जाता है और शब्द "शार्क पकड़" अप्रधान पकड, वाणिज्यिक, मनोरजंक और शार्क के अन्य रुपों का निर्देशन में शामिल करने के लिए लिया जाता है।

12. आई पी ओ ए - शार्क में दोनों लक्ष्य और गैर लक्ष्य पकड शामिल हैं ।

मार्गदर्शक सिद्धांत

13. *भागीदारी* : एक प्रजाति या स्टॉक पर मत्स्यन मृत्यु दर में योगदान देनेवाले राज्यों को इसके प्रबंधन में भाग लेना चाहिए ।

14. *स्टॉक को स्थायी रखना* : प्रबंधन एवं संरक्षण रणनीतियाँ का उद्देश्य एहतियाती दृष्टिकोण को लागू कर स्थायी स्तर के भीतर प्रत्येक स्टॉक के लिए कुल मत्स्यन दर रखना है ।

15. *पोषणयुक्त और सामाजिक आर्थिक महत्व*: प्रबंधन और संरक्षण उद्देश्य एवं रणनीतियों से पहचान करना चाहिए कि कुछ कम आय वाले खाद्य घाटा क्षेत्र और/या देशों में शार्क पकड भोजन, रोज़गार और या आय का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण स्त्रोत है । इस तरह के पकड़ स्थानीय समुदायों के लिए भोजन, रोज़गार और आय का एक निरंतर स्त्रोत प्रदान करने के लिए स्थायी आधार पर प्रबंधित किया जाना चाहिए ।

उद्देश्य

16. आई पी ओ ए-शार्क का उद्देश्य शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन और उनके दीर्घकालिक सतत उपयोग सुनिश्चित करना है ।

---

6. इस दस्तावेज के शब्द 'स्टेट' (राज्य) में एफ ए ओ के सदस्य और गैर-सदस्य शामिल हैं और स्टेट को छोड़कर 'फिशिंग एनटिटिज़' (मत्स्यन अस्तित्व) में भी यथोचित परिवर्तन करके लागू है ।

कार्यान्वयन

17. आई पी ओ ए- शार्क, राज्यों को लागू है जिसके समुद्र में अपनी निजी या विदेशी पोतों द्वारा शार्क को पकड़ा जाता है और महासमुद्र में जिस पोत से शार्क पकड़ा जाता है यह बताना ।

18. राज्यों को यदि उनके पोत शार्क के लिए निर्देर्शित मत्स्यन करता है या यदि उनके पोतें गैर-निर्देशित मात्स्यिकी में नियमित रुप से शार्क को पकडना हो तो शार्क के स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना अपनानी चाहिए । शार्क योजना के सुझावित अंतर्वस्तु परिशिष्ट ए में पाए जाते हैं । जब शार्क योजना विकसित करते समय उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठनों के अनुभव भी समुचित रुप से ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

19. प्रत्येक राज्य शार्क योजना विकसित करनै, कार्यान्वित करने एवं मॉनिटरिंग करने हेतु उत्तरदायी है ।

20. राज्यों को 2001 में कोफी सत्र से एक शार्क की योजना का प्रयास करना चाहिए ।

21. राज्यों को मत्स्यन की शर्त पर शार्क स्टॉक की स्थिति का नियमित निर्धारण करना चाहिए ताकि यह पता चले कि एक शार्क योजना के विकास के लिए यदि कोई ज़रुरत है । यह निर्धारण उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 6.13 द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए । प्रत्येक प्रासंगिक राज्य के शार्क की योजना का एक भाग के रुप में निर्धारण रिपोर्टित किया जाना चाहिए । शार्क निर्धारण रिपोर्ट की सुझावित अंतर्वस्तु परिशिष्ट बी में पाए जाते है । वाणिज्यिक डेटा सहित प्रासंगिक डेटा संग्रहण और बेहतर प्रौद्योगिकी की पहचान के साथ डेटा और अंत में प्रचुरता सूची की स्थापना निर्धारण को अनिवार्य बना देता है । राज्यों द्वारा एकत्रित डेटा जहाँ समुचित है, संगत, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन और एफ ए ओ के ढाँचे के भीतर चर्चा की जानी चाहिए और उपलब्ध कराया जाए । स्टॉक निर्धारण के लिए डाटा संग्रहण और डेटा सहभाजन तंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ट्रांस बाऊण्डरी, स्ट्रेड्डलिंग, अत्यधिक प्रवासी और गहरे समुद्र शार्क स्टॉक के संबंध में विशेष रुप से महत्वपूर्ण है ।

22. *शार्क योजना का* लक्ष्य निम्नलिखित हैः

- सुनिश्चित करें कि निर्देशित और गैर-निर्देशित मात्स्यिकी से शार्क पकड स्थायी है ।
- शार्क की आबादी के लिए खतरे का आकलन, संकट प्रवास की सुरक्षा करना और पता लगाना और जैविक सस्टेयिनबिलिटी के सिद्धांतों के साथ संगत पैदावार रण नीतियाँ और तर्क संगत दीर्घ कालिक आर्थिक उपयोग कार्यान्वित करना
- विशेष रुप से कमज़ोर या संकटग्रस्त शार्क स्टॉक को पहचाने और विशेष ध्यान प्रदान करे ।
- राज्यों के बीच और भीतर अनुसंधान, प्रबंधन और शैक्षणिक पहल में सभी पणधारियों को सम्मिलित कर प्रभावी परामर्श स्थापित एवं समन्वित करने हेतु ढाँचा विकसित करना और सुधारना ।
- शार्क के अप्रयुक्त आकस्मिक पकड कम से कम करना ।
- जैवविविधता और पारिस्थितिक तंत्र संरचना और कार्य के संरक्षण में योगदान करना
- उत्तरदायी मात्स्यिकी के आचार संहिता के अनुच्छेद 7.2.2 (जी) के अनुसार शार्क पकड़ से कचरा कम करना और फेंक देना (उदाहरण के लिए, पख हटाने पर शार्क अवधारण की आवश्यकता)
- मृत शार्क का पूरा उपयोग को प्रोत्साहित करें ।
- शार्क पकड़ की मॉनिटरिंग और अवतरण डेटा और प्रजाति विशिष्ट पकड़ सुधारना
- प्रजाति विशिष्ट जैविक एवं व्यापार डेटा की रिपोर्टिंग एवं पहचान सरल बनाना ।

23. राज्य जो *शार्क योजना* का कार्यान्वयन करता है, नियमित रुप से कम से कम प्रत्येक चार वर्ष में इसकी प्रभावकारिता बढाने हेतु लागत प्रभावी रणनीतियाँ पहचानने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन निर्धारण करना है ।

24. राज्य जो *शार्क योजना* को आवश्यक नहीं समझता है, उनको उस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए कि अपनी मात्स्यिकी में हो रही परिवर्तनों पर ध्यान

रखते हुए नियमित आधार पर लेकिन कम से कम पकड़ पर डेटा, लैडिंगस और व्यापार संग्रहित करना चाहिए ।

25. राज्य, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ संगत और उनके संबंधित क्षमता के ढ़ाँचे के भीतर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन या प्रबंधन और सहयोग का अन्य रुप शार्क स्टॉक की सस्टेयिनबिलिटी सुनिश्चित करने की दृष्टि से जहाँ उचित है उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय *शार्क योजना* के विकास के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

26. दो और दो से अधिक राज्य जहाँ ट्रांस बाऊण्डरी, स्ट्रेडलिंग अत्यंत प्रवासी और महासागर समुद्री स्टॉक्स का शोषण किया जाता है संबंधित राज्य को स्टॉक के प्रभावी संरक्षण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

27. राज्यों को एफ ए ओ के माध्यम से और अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के माध्यम से सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

28. राज्यों को उत्तरादायी मात्स्यिकी हेतु आचार संहिता पर एफ ए ओ को उनके व्दिवार्षिक रिपोर्टिंग करने के एक हिस्से के रुप में उनके *शार्क योजना* के कार्यान्वयन, और निर्धारण और विकास की प्रगति पर रिपोर्ट करना चाहिए ।

एफ ए ओ की भूमिका

29. एफ ए ओ इसके सम्मेलन द्वारा निर्देशित सीमा तक और नियमित कार्यक्रम गतिविधियों के एक हिस्से के रुप में, *शार्क योजना* की तैय्यारी सहित आई पी ओ ए-शार्क के कार्यान्वयन में राज्यों को समर्थन करता है ।

30. एफ ए ओ इसके सम्मेलन द्वारा निर्देशित सीमा तक विशिष्ट, देश में नियमित कार्यक्रम फंड सहित तकनीकी सहायता परियोजना और इस उद्देश्य के लिए संगठन में उपलब्ध अतिरिक्त बजट निधि का प्रयोग के माध्यम के *शार्क योजना* के कार्यान्वयन और विकास के लिए समर्थन करेगा । एफ ए ओ *शार्क योजना* के विकास के संबंध में देश को तकनीकी सहायता के तंत्र और विशेषज्ञों की सूची प्रदान करेगा ।

31. एफ ए ओ, कोफी के ज़रिए आई पी ओ ए शार्क के कार्यान्वयन में प्रगति की स्थिति पर व्दिवार्षिक रुप में रिपोर्ट करेगा ।

परिशिष्ट-ए

एक शार्क योजना के सुझावित अंतर्वस्तु

I. पृष्ठभूमि

शार्क के लिए मात्स्यिकी प्रबंधन करते समय, शार्क की जानकारी की स्थिति, शार्क पकड में प्रयुक्त प्रक्रियाएं शार्क के प्रबंधन एवं संरक्षण में विशेषकर समस्याएं पैदा कर सकती है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है ।

- वर्गीकरण विज्ञान संबंधी समस्याएं
- पकड़, प्रयास और शार्क के लिए अवतरण पर अपर्याप्त उपलब्ध आँकड़ा
- अवतरण के बाद प्रजातियों को पहचानने में कठिनाइयाँ
- अपर्याप्त जैविक एवं पर्यावरणीय डेटा
- शार्क के प्रबंधन और अनुसंधान हेतु धन की कमी
- ट्रांसबाऊन्डरी, स्ट्रेडलिंग, अत्यंत प्रवासी और शार्क के महासमुद्र में स्टॉक पर सूचना के संग्रहण पर कम समन्वयन
- बहु प्रजातीय मात्स्यिकी जिसमें शार्क पकडा जाता है, में शार्क प्रबंधन लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई

II. शार्क योजना के अंतर्वस्तु

एफ ए ओ द्वारा विकास के अंतर्गत शार्क के संरक्षण एवं प्रबंधन पर तकनीकी मार्ग निर्देश, *शार्क योजना* के दोनों विकास और कार्यान्वयन पर विस्तृत तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है । निम्नलिखित पर मार्गदर्शन दिए जाएंगे ।

- मॉनिटरिंग
- आँकड़ा संग्रहण और विश्लेषण
- अनुसंधान
- मानव क्षमता निर्माण
- प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन

शार्क योजना में सम्मिलित होना चाहिएः

ए. प्रचलित स्थिति का वर्णन

- शार्क स्टॉक, आबादी;
- संबंधित मात्स्यिकी; और
- ढाँचा प्रबंधन; और इसका प्रवर्तन

बी. *शार्क योजना* के उद्देश्य

सी- उद्देश्य प्राप्त करने हेतु रणनीतियाँ । क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए इसका विस्तृत उदाहरण निम्नलिखित है ।

- शार्क स्टॉक में मत्स्यन पोतों के प्रवेश पर नियंत्रण का पता लगाना
- किसी भी शार्क में मत्स्यन प्रयास कम करना जहाँ पकड अस्थिर है
- पकडे गए शार्क के उपयोग सुधारना
- शार्क मात्स्यिकी की मॉनिटरिंग और आँकड़ा संग्रहण सुधारना
- शार्क प्रजातियों की पहचान में सभी संबंधितों को प्रशिक्षित करना
- कम ज्ञात शार्क प्रजातियों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं सुविधा प्रदान करना
- शार्क प्रजातियों पर व्यापार डेटा और उपयोग प्राप्त करना

एक शार्क निर्धारण रिपोर्ट के सुझावित अंतर्वस्तु

एक शार्क निर्धारण रिपोर्ट में अन्य बातो के साथ साथ निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होनी चाहिए ।

- अतीत और वर्तमान रुझान के लिएः
    - प्रयासः निर्देशित और गैर निर्देशित मात्स्यिकी; सभी प्रकार की मात्स्यिकी
    - उपजः शारीरिक और आर्थिक
- स्टॉक की स्थिति
- वर्तमान प्रबंधंन उपायें:
    - मत्स्यन स्थानों में प्रवेश का नियंत्रण
    - तकनीकी उपायें (अप्रधान पकड की कमी उपायें, अभ्यारणयों के अस्तित्व और बंद मौसम सहित)
    - अन्य
    - मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निगरानी
- प्रबंधन उपायों की प्रभावकारिता
- प्रबंधन उपायों के संभावित आशोधन

मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

परिचय

1. उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता और स्थाई मात्स्यिकी के समग्र उद्देश्य के संदर्भ में विश्व मात्स्यिकी में अति मत्स्यन की क्षमता के मामले बढ़ती चिंता का विषय है । अत्यधिक मत्स्यन क्षमता एक समस्या है कि दूसरों के बीच में अति मत्स्यन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के पतन, संभाव्य उत्पादन और महत्वपूर्ण आर्थिक बर्बादी में गिरावट के लिए भरपूर योगदान देता है ।

2. आचार संहिता प्रदान करता है कि राज्यों को अति मत्स्यन क्षमता रोकने या खत्म करने के लिए उपाय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मत्स्यन प्रयास के स्तर मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के साथ अनुरुप हैं ।

3. 1997 में अंतिम सत्र में, मात्स्यिकी पर समिति (कोफी) ने मत्स्यन क्षमता के मामले को संबोधन करने के लिए एफ ए ओ से अनुरोध किया । एफ ए ओ ने मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन पर एक तकनीकी कार्य समूह ला जोल्ला, यू एस ए में 15 से 18 अप्रैल 1998 तक आयोजित किया । उसके बाद एफ ए ओ परामर्श रोम में 26 से 30 अक्टूबर 1998 तक संपन्न हुआ, उसके पहले 22 से 24 जुलाई 1998 तक एक प्रारंभिक बैठक हुई थी ।

भाग-I अतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र

4. अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना स्वैच्छिक है । यह अनुच्छेद 2 (डी) द्वारा परिकल्पित उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता के ढ़ाँचे के भीतर सविस्तार किया गया है । संहिता के अनुच्छेद 3 के प्रावधान इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की व्याख्या और प्रयोग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के साथ अपने संबंध पर लागू होते है ।

5. इस दस्तावेज़ आचार संहिता लागू करने के लिए सभी राज्यों[7] की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में है । राज्यों और क्षेत्रीय[8] मात्स्यिकी संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ संबंधित संगठन की अपनी अपनी क्षमता के ढ़ाँचे के भीतर इस दस्तावेज़ को एकमत लागू करना चाहिए ।

---

7. इस दस्तावेज के शब्द 'स्टेट' (राज्य) में एफ ए ओ के सदस्य और गैर-सदस्य शामिल हैं और स्टेट को छोड़कर "फिशिंग एनटिटिज़" (मत्स्यन अस्तित्व) में भी यथोचित परिवर्तन करके लागू है ।
8. इस दस्तावेज़ में शन्द "क्षेत्रीय" में यथोचित उप-क्षेत्रीय शामिल है ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में मात्स्यिकी संरक्षण एवं स्थायी प्रबंधन के तत्व शामिल हैं ।

भाग-।। उद्देश्य और सिद्धांत

7. अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के तत्काल उद्देश्य दुनिया भर में 2003 तक लेकिन 2005 के बाद में नहीं, मत्स्यन क्षमता के एक कुशल न्याय संगत और पारदर्शी प्रबंधन प्राप्त करना है, साथ साथ राज्य और क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन अति क्षमता की समस्या का सामना कर रहा है । जहाँ क्षमता दीर्घ कालिक स्थिरता के परिणामों की उपलब्धि को कम कर रहा है को वर्तमान स्तर पर शुरु में ही सीमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और प्रभावित मात्स्यिकी के लिए लागू मत्स्यन क्षमता उत्तरोत्तर कम करना चाहिए ।

8. उपर्युक्त उद्देश्य चार प्रमुख रणनीतियों से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हैः

i. मत्स्यन क्षमता की मॉनिटरिंग हेतु क्षमता में सुधार और क्षमता की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक निर्धारण संचालित करना;
ii. मत्स्यन क्षमता को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने हेतु राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन और तैय्यारी और तटीय मात्स्यिकी के लिए आवश्यक त्वरित उपायों के लिए तत्काल कार्रवाई
iii. क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन के सुदृढीकरण एवं क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मत्स्यन क्षमता के लिए सुधारित प्रबंधन के लिए संबंधित तंत्र
iv. प्रमुख ट्रांस बोऊण्डरी, स्ट्रेडलिंग, अत्यंत प्रवासी और महासमुद्र मात्स्यिकी के लिए आवश्यक त्वरित उपायों के लिए तत्काल कार्रवाई

इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना : जागरुकता निर्माण और शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग और समन्वयन के कार्यान्वयन को बढावा देने हेतु पूरक तंत्र के माध्यम से इन रणनीतियों को कार्यान्वित किया जाए ।

9. मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता पर आधारित होना चाहिए है और निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों और दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए ।

i. *भागीदारीः* अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन सहित अन्य उपयुक्त अंतर सरकारी संगठनों के सहयोग में, एफ ए ओ के माध्यम से या अन्य राज्यों के साथ सहयोग में, या सीधे राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए । राज्य और क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन यथोचित इसको प्रभाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसे लागू करने में की गई कार्रवाई एफ ए ओ को सूचित करना चाहिए । एफ ए ओ नियमित रुप से इसके कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा ।

ii. *चरणबद्ध कार्यान्वयनः* राष्ट्रीय और क्षेत्रीय योजनाओं के आधार पर मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए । मूल्यांकन और निदान (प्रारंभिक विश्लेषण 2000 के अंत तक पूरा किया जाना है) प्रबंधन उपायों को अपनाना (प्रारंभिक चरणें 2002 के अंत तक अपनाया जाना है) और यथा समुचित इस तरह के निर्धारण एवं निदान के उपाय की समय समय पर समायोजन । राज्य एवं क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन इन चरणों को पूरा किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में निर्दिष्ट पूरक उपायों का 2005 तक उत्तरोत्तर कार्यान्वित करना चाहिए ।

iii. *समग्र दृष्टिकोणः* मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल में क्षमता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार करना चाहिए ।

iv. संरक्षणः फिश स्टॉक के लगातार उपयोग और संरक्षण और एहतियाती दृष्टिकोण के साथ संगत समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, अप्रधान पकड़, बेकार और डिस्कार्ड कम करने की आवश्यकता और पर्यावरण के अनुकूल मत्स्यन करने की प्रक्रियाओं, समुद्री पर्यावरण में जैवविविधता के संरक्षण, आवास, विशेषकर चिंतित प्रवास की सुरक्षा प्राप्त करने हेतु मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन अभिकल्पित किया जाना चाहिए ।

v. *प्राथमिकताः* मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन करने हेतु उन मात्स्यिकी में जिसमें पहले से ही सुस्पष्ट अति मत्स्यन मौजूद है को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

vi. *नई प्रौद्योगिकीः* मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन ऐसे अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि प्रग्रहण मात्स्यिकी के सभी क्षेत्रों मे प्रौद्योगिकी विकसित कर पर्यावरण स्वस्थ समावेश का भी ध्यान दिया जा सके ।

vii. *गतिशीलताः* मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन, मत्स्यन क्षमता के कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जब यह स्थिरता को नकारात्मक रुप से प्रभावित करता है और गतिशीलता को हतोत्साह करना चाहिए । अन्य मात्स्यिकी में सामाजिक आर्थिक निष्पादन पर ध्यान देना चाहिए ।

viii. *पारदर्शिताः* अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना आचार संहिता के अनुच्छेद 6.13 के अनुसार एक पारदर्शी तरीके से कार्यान्वित करना चाहिए ।

10. विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में, अपनी मात्स्यिकी विकसित करने तथा महासागर मात्स्यिकी में भाग लेने, ऐसी मात्स्यिकी में प्रवेश सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके कानूनी अधिकारों और उनके दायित्वों के अनुसार आचार संहिता विशेषकर अनुच्छेद 5 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ।

भाग-।।।- तत्काल कार्रवाई

धारा-।: मत्स्यन क्षमता के निर्धारण और मॉनिटरिंग

मत्स्यन क्षमता का मापन

11. राज्यों, मत्स्यन क्षमता की मॉनिटरिंग और मापन से संबंधित मुद्दों के बुनियादी पहलुओं को अच्छी तरह समझने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों और अनुसंधान का समर्थन करना चाहिए ।

12. मत्स्यन क्षमता के मापन और परिभाषा तथा आँकड़ा संग्रहण और विश्लेषण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन के बाद की तैय्यारी पर 1998 में यथासंभव होने वाले तकनीकी परामर्श का एफ ए ओ द्वारा राज्यों को संगठन का समर्थन करना चाहिए । इस परामर्श का परिणाम नोट करने पर मत्स्यन क्षमता के प्रारंभिक निर्धारण और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मत्स्यन क्षमता हेतु विशेष मार्गदर्शन देना चाहिए ।

मात्स्यिकी और बेड़ा जिसमें जरुरी उपायें अपेक्षित है की पहचान एवं निदान ।

13. राज्यों को, प्रमुख मात्स्यिकी के सभी बेड़ों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर परिनियोजित मत्स्यन क्षमता के प्रारंभिक निर्धारण के साथ 2000 के अंत तक आगे बढना चाहिए और समय समय पर इसका विश्लेषण अद्यतन करना चाहिए ।

14. राज्यों को, राष्ट्रीय मात्स्यिकी एवं बेड़ा जिसमें जरुरी उपायें अपेक्षित है के व्यवस्थित पहचान के साथ 2000 के अंत तक आगे बढ़ना है और समय समय पर इसका विश्लेषण अद्यतन करना चाहिए ।

15. राज्यों को ट्रांसबाऊन्डरी स्ट्रेडलिंग, अत्यधिक प्रवासी और महासमुद्र मात्स्यिकी के लिए तथा क्षेत्रीय या वैश्विक मात्स्यिकी की पहचान और बेड़ा जिसमें त्वारित उपायें अपेक्षित है के लिए राष्ट्रीय स्तर पर (संगत क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन के भीतर या यथोचित उनके सहयोग में) और वैश्विक स्तर पर (एफ ए ओ के साथ सहयोग में) मत्स्यन के समान प्रारंभिक निर्धारण के संगठन में समय सीमा के भीतर सहयोग करना चाहिए ।

मत्स्यन पोतों के रिकार्ड की स्थापना

16. राज्यों को मत्स्यन पोतों के रिकार्ड के लिए समुचित एवं संगत मानकों के विकास में एफ ए ओ का समर्थन करना चाहिए ।

17. राज्यों को अधिक जानकारी के लिए आगे शर्तें:-निर्दिष्ट कर मत्स्यन पोतों के संगत राष्ट्रीय रिकार्ड समुचित रुप से विकसित करना और बनाए रखने चाहिए ।

18. महासमुद्र (अनुपालन अनुबंध) पर मत्स्यन पोतों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों के साथ अनुपालन को बढ़ावा देने में अनुबंध के बल के प्रवेश का इंतज़ार करते हुए राज्यों को महासमुद्र में प्रचालित मत्स्यन पोतों के अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड 2000 के अंत तक, अनुपालन अनुबंध में सूचित मॉडल का अनुपालन करते हुए एफ ए ओ द्वारा स्थापना को समर्थन करना चाहिए ।

धारा ।। राष्ट्रीय योजना की तैय्यारी एवं कार्यान्वयन

राष्ट्रीय योजना और नीतियों का विकास

19. राज्यों को, मत्स्यन क्षमता पर विभिन्न संसाधन प्रबंधन के तंत्र के प्रभाव के साथ साथ मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के विकास, कार्यान्वित और मॉनिटरिंग करना चाहिए ।

20. राज्यों को, सही ढंग से और व्यवस्थित ढंग से मत्स्यन क्षमता मॉनिटर करने हेतु साधन विकसित करना चाहिए और उपलब्ध मत्स्य संसाधनों और प्रबंधन के उद्देश्यों के साथ किसी भी असंतुलन का नियमित रुप से आकलन करना चाहिए ।

21. राज्यों को, मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय योजना 2002 के अंत तक विकसित, अपनाना और सार्वजनिक करना चाहिए, और यदि आवश्यक हो, स्थायी आधार पर उपलब्ध संसाधनों के साथ मत्स्यन क्षमता को संतुलित रखने के क्रम में मत्स्यन क्षमता कम करना है । ये अत्यधिक अति मत्स्यन के रुप में पहचान किए गए स्टॉक के लिए मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन संबोधित करने हेतु तत्काल कदम उठाते हुए और मामला जिसमें तत्काल उपायें अपेक्षित है पर विशेष ध्यान देकर फिश स्टॉक के निर्धारण पर आधारित होना चाहिए ।

22. राज्यों को, मत्स्य समुदायों की आजीविका जिसमें मत्स्यन क्षमता में कटौती का बोझ सहन करना चाहिए और रोज़गार के वैकल्पिक स्त्रोतों पर विचार सहित सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में राष्ट्रीय योजना के विकास में विचार करना चाहिए ।

23. जब यह पाया गया है कि क्षमता प्रबंधन में एक राष्ट्रीय योजना आवश्यक नहीं है, राज्यों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मत्स्यन क्षमता के मामला मात्स्यिकी प्रबंधन में चालू ढंग से संबोधित किया है ।

24. कम से कम हर चार साल में, राज्यों को, प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु लागत प्रभावी रणनीतियाँ पहचानने के उद्देश्य के लिए क्षमता प्रबंधन में उनकी राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए ।

सब्सिडि और आर्थिक प्रोत्साहन

25. मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु अपनी राष्ट्रीय योजना विकसित करते समय, राज्यों को सब्सिडि, अपनी मात्स्यिकी के स्थाई प्रबंधन पर अत्यधिक क्षमता में योगदान देकर, कारकों के बीच भेद, सब्सिडि सहित जो अति क्षमता और अनसस्टेयिनबिलिटी में योगदान करता है और जो एक सकारात्मक प्रभाव या तटस्थ उत्पन्न करता है, सहित सभी कारकों के संभावित प्रभाव का निर्धारण करना चाहिए ।

26. राज्यों को सब्सिडि और आर्थिक प्रोत्साहन और अन्य कारक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से योगदान करता है, अत्यधिक मत्स्यन क्षमता का निर्माण इससे समुद्री सजीव संसाधनों की स्थिरता कम कर, आर्टिसनल मात्स्यिकी की ज़रुरतों को ध्यान में रखकर सभी कारकों को उत्तरोत्तर समाप्त करना चाहिए ।

क्षेत्रीय विचार

27. राज्यों को मत्स्यन क्षमता के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन या व्यवस्था और सहयोग के अन्य रुपों के माध्यम से जहाँ उपयुक्त हो, सहयोग करना चाहिए ।

28. राज्यों को एफ ए ओ के माध्यम से और अनुसंधान, प्रशिक्षण और मत्स्यन क्षमता के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना और शैक्षिक सामग्री के उत्पादन मे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

धारा-।।। - अंतर्राष्ट्रीय विचार

29. राज्यों को मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन से संबंधित विशेषकर अनुपालन अनुबंध और 10 दिसंबर 1982 के सागर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कंन्वेशन के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अनुबंध, स्ट्रेडलिंग फिश स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन और अत्यंत प्रवासी मत्स्य स्टॉक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में भाग लेने पर विचार करना चाहिए ।

30. राज्यों को सहयोग एवं उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार सभी क्षेत्रीय मत्स्य संगठनों के बीच सूचना के आदान प्रदान का समर्थन करना चाहिए ।

31. राज्यों को महासमुद्र मात्स्यिकी में शामिल उनके पोतों की मत्स्यन क्षमता का प्रबंधन हेतु कदम उठाने चाहिए और अन्य राज्यों के साथ उचित रुप से महासमुद्र स्टॉक में अति मत्स्यन में लागू मत्स्यन क्षमता कम करने में सहयोग करना चाहिए ।

32. राज्यों को क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन जहाँ उपयुक्त हो, के माध्यम से और एफ ए ओ के सहयोग से अपने बेडे द्वारा तटीय क्षेत्र में तथा महासमुद्र में पकड़ पर आँकड़ा संग्रहण में सुधार करना चाहिए ।

33. राज्यों को, जो राज्य मत्स्यन जलयानों के संबंध में फ्लैग राज्य के रुप में अंतर्राष्ट्रय कानून के अधीन उनकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, उन राज्यों की समस्या से निपटाने की जरुरत की पहचान करनी चाहिए और विशेषकर जो अपने अधिकार क्षेत्र प्रभावी रुप से प्रयोग नहीं करते और उनके पोतों पर नियंत्रण इस प्रकार परिचालित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संगत नियमों और

अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों का उल्लंघन करता है या क्षति पहुँचाता है । राज्यों को, ऐसे झंडा राज्य मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय प्रयासों में योगदान सुनिश्चित करने हेतु बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन भी करना चाहिए ।

34. राज्यों को, क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठनों या व्यवस्था में सदस्य बनने हेतु प्रेरित करना चाहिए या उनके पोतों में ऐसे संगठन या व्यवस्थाओं द्वारा स्थापित संरक्षण और प्रबंधन उपाय लागू करने हेतु सहमत करना चाहिए ।

35. राज्यों को एफ ए ओ की सहायता के साथ पोतों के मत्स्यन गतिविधियों से संबंधित सूचना के आदान प्रदान जो अनुबंध के अनुच्छेद VI के साथ संगत क्षेत्रीय मात्स्यिकी संगठन या व्यवस्था द्वारा अपनाए गए संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों का पालन नहीं करते, को बढ़ावा देना चाहिए ।

36. अनुपालन अनुबंध के बल में प्रवेश प्रत्याशित करते हुए, राज्यों को अनुबंध के अनुच्छेद-।।। के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए ।

37. राज्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्षमता का कोई हस्तांतरण उस राज्य के औपचारिक प्राधिकार और अभिव्यक्त सहमति के बिना नहीं करना चाहिए ।

38. राज्य, झंडा राज्य के रुप में, अपनी ड्यूटी के अनुपालन में, महासमुद्र क्षेत्र में उनके झंडा उड़ाने वाले पोतों का स्थानांतरण का अनुमोदन से बचना चाहिए जहाँ स्थानांतरण आचार संहिता के अधीन उत्तरदायी मत्स्यन के साथ असंगत है ।

धारा IV: प्रमुख अंतरर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी जिसमें त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है के लिए तत्काल कार्रवाई

39. जो ट्रांन्सबाऊन्डरी, स्ट्रेडलिंग, अत्यंत प्रवासी और महासमुद्र स्टॉक के पैदावार करते हैं जिसका महत्वपूर्ण रुप से अति मत्स्यन हो रहा है को प्राथमिकता दी जा रही है, के साथ अंतर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी जिसमें त्वरित उपाय अपेक्षित है के लिए मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन संबोधित करने हेतु राज्यों को तत्काल कदम उठाना चाहिए ।

40. उनके संबंधित दक्षताओं की रुपरेखा के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना अन्य संगत प्रावधानों के अतिरिक्त, स्थाई स्तर पर अति मत्स्यन स्टॉक को बहाल करने हेतु प्रबंधन रणनीतियों के रुप में इन संसाधनों पर लागू बेडे की क्षमता

भरपूर[9] कम करने के लिए यथा समुचित व्यक्तिगत, व्दिपक्षीय और बहुपक्षीय रुप से राज्यों को कार्य करना चाहिए ।

i) अति मत्स्यन स्टॉक को पकडने वाले बेडे के आर्थिक महत्व और स्टॉक स्थिरता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरुप एक स्तर पर इन बेडों को सीमित करने की जरुरत

ii) फिश स्टॉक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से शोषित या अतिशोषित मात्स्यिकी में अतिक्षमता का हस्तांतरण नियंत्रित करने हेतु समुचित उपायों का उपयोग

भाग-IV - कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु तंत्र

41. राज्यों को मत्स्यन क्षमता, मत्स्यन क्षमता में समायोजन से उत्पन्न लाभ और लागत के प्रबंधन की जरुरत के संबंध में जागरुकता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सूचना कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए ।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग

42. राज्यों को मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान का समर्थन करना चाहिए और वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक फोरा का उपयोग कर विश्व व्यापक उपलब्धता को बढ़ावा देना चाहिए ।

43. राज्य को प्रशिक्षण एवं संस्थागत सुदृढीकरण का समर्थन करना चाहिए और मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विकासशील देशों में वित्तीय, तकनीकी और अन्य सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए ।

रिपोर्टिंग

44. राज्य, आचार संहिता पर एफ ए ओ को अपनी व्दिवार्षिक रिपोर्टिंग के भाग के रुप में मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन और निर्धारण, विकास पर प्रगति पर एफ ए ओ को रिपोर्ट करना चाहिए ।

---

9 आवश्यक कमी मात्स्यिकी से मात्स्यिकी में भिन्न होगी; उदाः बडे पैमाने पर टूना लाँग लाइन बेडा के लिए 20 से 30% कमी उल्लेखित किया गया था । (मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन पर एफ ए ओ तकनीकी कार्य समूह की रिपोर्ट, ला जोल्ला संयुक्त राज्य अमेरिका, 15-18 अप्रैल 1988, एफ ए ओ मात्स्यिकी रिपोर्ट नं. 586)

एफ ए ओ की भूमिका

45. एफ ए ओ अपने सम्मेलन द्वारा निर्देर्शित हद तक सभी संगत सूचना और डेटा संग्रहित करेगा जो अति क्षमता में योगदान करने वाले कारक पहचानने के उद्देश्य से आगे विश्लेषण हेतु एक आधार के रुप में सेवा कर सकता है, इस तरह अन्य बातों के साथ इनपुट और आऊट पुट नियंत्रण की कमी, अस्थाई मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणालियाँ एवं सब्सिडी जो अति क्षमता में योगदान करेंगे ।

46. एफ ए ओ अपने सम्मेलन द्वारा निर्देर्शित इस हद तक और नियमित कार्यक्रम गतिविधियों के रुप में मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु उनके राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करेंगे ।

47. एफ ए ओ अपने सम्मेलन द्वारा निर्देश के अनुसार नियमित कार्यक्रम फेड के साथ देश मे तकनीकी सहायता परियोजना और इस उद्देश्य के लिए संगठन को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त बजटीय फंड के उपयोग से मत्स्यन क्षमता के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन और विकास का समर्थन करेंगे ।

48. एफ ए ओ, कोफी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की स्थिति पर व्दिवार्षिक रिपोर्ट करेंगे ।

अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना एक स्वैच्छिक साधन है जो राज्यों को लागू है । पाठ में प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई योजना, यदि कोई समस्या मौजूद हो तो उसका निर्धारण सहित कार्यान्वित राज्यों को कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियाँ, एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना अपनाने हेतु प्रक्रियाएं तथा राष्ट्रीय समीक्षा एवं रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए प्रक्रियाँ निर्दिष्ट है । प्रत्येक कार्रवाई योजना में अनुबंधित उपायों के कार्यान्वयन के लिए तिथि भी संकेतित है ।

Translated and Printed by the Bay of Bengal Programme
Inter-Governmental Organisation
September 2015